कार्यालय संयुक्त निदेशक (कृषि): विकास विभागः दिल्ली सरकार

11वां तल, बहु मंजिला भवन, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली-110002

दूरभाषः 23714472, 23713399, E-mail: jdadev.delhi@nic.in

जन सूचना

दिल्ली में धान की फसल के अवशेष प्रबन्धन के प्रयोजन से कृषि इकाई, विकास विभाग, दिल्ली सरकार धान उत्पादन करने वाले किसानों के खेत पर पूसा बायो डिकम्पोजर का निःशुल्क छिडकाव आयोजित करने जा रही है ताकि किसान के खेत पर ही फसल अवशेष (पराली) का सदुपयोग कम्पोस्ट के रूप में किया जा सके।

इसके अलावा, दिल्ली राज्य के किसानों के लिए फसल अवशेष के प्रबन्धन हेतु 50 प्रतिशत सबसिडी मूल्य पर भारत सरकार द्वारा संचालित योजना "कृषि अभियन्त्रण को बढावा देकर फसल अवशेषों का खेतों में प्रबन्धन" (Promotion of Agricultural Mechanization for in-situ Management of Crop Residue in NCT of Delhi) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में निम्नलिखित कृषि उपकरण व मशीनरी उपलब्ध कराने का प्रावधान हैः-

1. सुपर स्ट्रॉ मैनेजमैंट सिसटम (सुपर एस०एम०एस०)
2. पैडी स्ट्रा चॉपर/श्रेडर/मल्चर
3. हैप्पी सीडर
4. श्रब मास्टर/रोटरी स्लैशर
5. हाइड्रालिक रिवर्सेबल मोल्ड बोर्ड प्लाउ
6. जीरो टिल्ल सीड व उर्वरक ड्रिल
7. सुपर सीडर
8. बेलिंग मशीन
9. कॉप रीपर

दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र के अन्तर्गत सभी किसानों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त सुविधाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी ब्लाक के कृषि विस्तार अधिकारी व कृषि विस्तार सहायक से सम्पर्क कर निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन पत्र व कृषि मशीनरी व उपकरण निर्माताओं का ब्यौरा विभागीय वेबसाइट **http://www.development.delhigovt.nic.in** पर उपलब्ध है और वैबसाइट से डाउन लोड किया जा सकता है।

इच्छुक किसान विभागीय दूरभाष न0 23713399 व 23714472 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

हस्ता./-

उप निदेशक/कार्यालय प्रमुख (कृषि)
विकास विभाग, दिल्ली सरकार

DIP/Shabdarth/0334/22-23

Scanned by CamScanner